



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

प्रधान आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
कोच्चि KOCHI

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

फा.सं. //39/14/2018 -रा.भा.

तारीख/Date: 24.04.2019

सेवा में/ To

राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्य,
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद आयुक्तालय,
कोचिन-18

All the members of the O L I C,
Central Tax & Central Excise
Commissionerate,
Cochin-18.

महोदय/महोदया/ Sir/Madam,

विषय: राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 11.04.2019 को आयोजित तिमाही बैठक का कार्यवृत्त।

Sub: Minutes of the quarterly Meeting of the Official Language Implementation Committee held on 11.04.2019.

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रधान आयुक्त का कार्यालय, कोच्चि-18 की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 11.04.2019 को आयोजित तिमाही बैठक का कार्यवृत्त सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए इस के साथ संलग्न है। सभी संबन्धित अधिकारियों से अनुरोध है कि समिति द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।

Kindly find enclosed a copy of the minutes of the quarterly meeting of the Official Language Implementation Committee (OLIC) of the Office of the Principal Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi-18 held on 11.04.2019. All concerned Officers are requested to take necessary action to ensure the compliance of the decision taken by the Committee.

भवदीया/Yours faithfully,

(राजेश्वरी आर.नायर/ RAJESHWARI R. NAIR)

संयुक्त आयुक्त(का.व सत.)/ JOINT COMMISSIONER(P&V)

प्रतिलिपि /Copy to:

1. महा निदेशक, निष्पादन प्रबंधन महा निदेशालय, सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर, इन्द्र प्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली ।
The Director General, Directorate Performance Management, Customs, Central Excise & Service Tax, "D" Block, I P Estate, New Delhi - 2.
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क। केन्द्रीय राजस्व भवन, आई.एस.प्रेस रोड, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र ।
The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise & Customs, C.R.Building, I.S.Press Road, Thiruvananthapuram Zone.
3. आयुक्त के निजी सचिव/ सभी अनुभाग प्रमुख/ मण्डल कार्यालय
P.S to Commissioner/ All Section Heads/ Divisions
4. सभी केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त
All the Commissioner's of Central Tax & Central Excise.



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, प्रधान आयुक्त का कार्यालय, कोच्चि की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 11.04.2019 को आयोजित तिमाही बैठक का कार्यवृत्त।

Minutes of the quarterly meeting of the Official Language Implementation Committee of the Office of the Principal Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi held on 11.04.2019

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, प्रधान आयुक्त का कार्यालय, कोच्चि की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक दिनांक 11.04.2019 को अपराह्न 03.30 बजे केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि प्रधान आयुक्त श्री के.आर. उदय भास्कर की अध्यक्षता में आयुक्तालय के सम्मलेन कक्ष में आयोजित की गई।

The quarterly meeting of the Official Language Implementation Committee of the Office of the Principal Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi was convened on 11.04.2019 at 03.30 pm under the Chairmanship of Shri K.R. Uday Bhaskar, Principal Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi in the Conference Hall of the Commissionerate. The following members attended the meeting.

क्र.सं S.No.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री/श्रीमती) Name of the Officer(S/Shri/Smt)	पदनाम Designation	अनुभाग /मंडल Section/Division
1	राजेश्वरी आर. नायर Rajeswari R.Nair	संयुक्त आयुक्त[का.व सत.] Joint Commissioner[P&V]	मुख्यालय Hqrs.
2	बिजु थॉमस Biju Thomas	संयुक्त आयुक्त[तक.] Joint Commissioner[Tech]	मुख्यालय Hqrs.

3	सुरेश बाबु पी. जी. Suresh Babu P.G.	सहायक आयुक्त Assistant Commissioner	का. व सत., मु. P&V Hqrs.
4	उमा देवी बी. Uma Devi B.	सहायक आयुक्त Assistant Commissioner	न्यायनिर्णयन/ ई.डी.पी. Adjudication/E.D.P.
5	के. शक्तिधरन K. Shaktidharan	सहायक आयुक्त Assistant Commissioner	सूचना अधिकार/प्रशिक्षण RTI/Training
6	कु.एम. विनुता Ms. M. Vinuta	सहायक आयुक्त Assistant Commissioner	काक्कनाड मंडल Kakkanad Dvsn.
7	कु.शालिनी सुष्मिता Ms.Shalini Sushmita	सहायक आयुक्त Assistant Commissioner	आलुवा मंडल Aluva Dvsn.
8	किरण टी.ए. Kiran T.A.	सहायक आयुक्त Assistant Commissioner	चालक्कुडी मंडल Chalakkudy Dvsn
9	श्री जयकान्त सी वी Shri Jayakant C.V.	सहायक आयुक्त Assistant Commissioner	पेरुम्बावूर मंडल Perumbavoor Dvsn
10	अंजना एस. कुमार Anjana S.Kumar	सहायक आयुक्त Assistant Commissioner	मुख्यालय Hqrs.
11	सत्यकुमार मनोन Sathyakumar Menon	अधीक्षक Superintendent	तकनीकी, मुख्यालय Technical, Hqrs.
12	स्नेहा सिंह Sneha Singh	निरीक्षक Inspector	ई.डी.पी., मुख्यालय E.D.P., Hqrs.
13	श्रीमती रोसेलिन जोस थॉमस कोरुत Smt.Rosalind Jose Thomas Koruthu	कनिष्ठ अनुवादक Junior Translator	मुख्यालय Hqrs.

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया और बैठक आरंभ की।
The Chairman welcomed all the members of the Committee and commenced the meeting.

I पिछली बैठक के निर्णयों पर कार्रवाई / Action taken on the decisions of the last meeting.

- a. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी कागजात द्विभाषी रूप में जारी करना अनिवार्य है। **Documents coming under section 3(3) of OL Act, 1963 should be issued only in bilingual form:**

समिति को सूचित किया गया कि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन हो रहा है। अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया है कि भविष्य में भी इसे सख्ती से पालन किया जाए। पिछली तिमाही में 66 कागजात राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किए गए और उन सभी कागजातों को हिन्दी में भी जारी किए गए।

The Committee was informed that section 3(3) of OL Act, 1963 is being followed. The Chairman directed that the same may be strictly followed in future too. During the previous quarter 66 papers were issued under section 3(3) of OL Act, 1963 and all those papers were issued in Hindi too.

कार्रवाई: प्रशासनिक अधिकारी(मु.), प्रशासन, तकनीकी, न्यायनिर्णयन, सतर्कता अनुभागों के अधीक्षक, जन संपर्क अधिकारी, कनिष्ठ अनुवादक

Action: AO(Hqrs.), Supdt.s of Admn., Technical, Adjn., Vigilance sections, PRO, JT

b. कोच्चि आयुक्तालय के लिए राजभाषा पुरस्कार /Rajbhasha Puraskar for Kochi Commissionerate:

समिति को सूचित किया गया कि हमारे आयुक्तालय को राजभाषा कार्यान्वयन के लिए गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा दक्षिण-दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में दिए जाने वाला राजभाषा पुरस्कार (तृतीय स्थान) प्राप्त हुआ है। दिनांक 14.02.2019 को माननीय केरल के राज्यपाल के कर कमलों से यह पुरस्कार प्राप्त किया था। हमारे आयुक्तालय को कोच्चि टोलिक का प्रथम पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। आयुक्त महोदय ने उक्त पुरस्कार प्राप्त करने में प्रभावी काम करने के लिए कनिष्ठ अनुवादक श्रीमती रोसलिंग जोस थॉमस कोरुतु को इनाम के रूप में 2500 / - रु. की राशि प्रदान करने की अनुमति प्रदान की। उन्होंने यह भी कहा कि सहायक निदेशक (राजभाषा) के रिक्त पद के कारण अनुवादक द्वारा किए गए अतिरिक्त काम के लिए आने वाले वर्षों में भी 2500 रुपये की राशि कनिष्ठ अनुवादक को दी जाए।

The Committee was informed that our Commissionerate was awarded Rajbhasha Puraskar (third prize) by the Dept. Of OL, Ministry of Home Affairs among the Central Government offices in the South - South West region. Award was presented by the Honourable Governor of Kerala on 14.02.2019. Our Commissionerate received the first prize in Hindi implementation in Kochi Tolic too. The Commissioner sanctioned an amount of Rs.2500/- to Junior Translator Smt.Rosalind Jose Thomas Koruthu as a reward for the effective work done for receiving the above said Puraskaar. He also said that an amount of Rs.2500/- may be given to the Junior Translator in the coming years too for the additional work done by the Translator due to the vacant post of Assistant Director (OL).

कार्रवाई: संयुक्त आयुक्त (का.व सत.)/ सहायक आयुक्त (का. व सत.)/ प्रशासनिक अधिकारी(डी. डी.ओ.)
Action : JC(P&V)/AC(P&V)/AO(DDO)

c. हिंदी कार्यशाला / Hindi Library :

समिति को सूचित किया गया कि हिंदी पुस्तकालय - अध्यक्ष महोदय द्वारा पिछली बैठक में दिए गए निदेशानुसार हिंदी पुस्तकालय के लिए "राग दरबारी" व "वोल्गा से गंगा" दो पुस्तकें खरीदी गई हैं तथा हिंदी पुस्तक मंदिर[DBHPS] से 15 अन्य पुस्तकें भी इस तिमाही में खरीदी गई हैं। सम्पूर्ण सूची वेबसाइट में उपलब्ध कराई जायेगी।

The Committee was informed that as per Chairman's directions in the previous meeting two books named "Rag Darbari" and "Volga se Ganga" were purchased and 15 more books from Pustak Mandir [DBHPS] were also purchased during the quarter for the Hindi Library as per Annual Programme made by Dept. Of OL, MHA for Hindi Implementation. List will be published in the website.

कार्रवाई: राजभाषा अनुभाग/ Action: OL Hindi Section

d. मंडल कार्यालयों द्वारा हिंदी प्रतियोगिताएं /Hindi Competitions by the Divisions:

समिति को सूचित किया गया कि हिंदी अनुवादक के निरीक्षण दौर के दौरान इडुक्की व त्रिश्शूर मंडलों द्वारा हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं तथा काक्कनाड व एर्णाकुलम मंडलों द्वारा बाद में आयोजित करके उत्तर पत्र मुख्यालय को भेजे गए।

The Committee was informed that Hindi competitions by the Divisions- Idukki and Thrissur divisions had conducted the competitions during the inspection visit of the Hindi Translator. Kakkanad and Ernakulam conducted later and sent the papers to Hqrs.

कार्रवाई: राजभाषा अनुभाग/ Action: OL Hindi Section

e. सभी अनुभागों एवं मंडल कार्यालयों का राजभाषा निरीक्षण

Official Language Inspection of all Sections and Divisions :

समिति को सूचित किया गया कि आयुक्त महोदय की तरफ से हिंदी अनुवादक द्वारा मुख्यालय के सभी (15) अनुभाग तथा 7 मंडल कार्यालयों का निरीक्षण किया गया, राजभाषा सम्बंधित आवश्यक सामग्रियां दी गईं | समीक्षा रिपोर्ट सभी अनुभागों एवं मंडल कार्यालयों को शीघ्र ही भेजी जायेगी | अनुवादक ने सभी मंडल कार्यालयों के प्रभारी अधिकारियों से अनुरोध किया कि जी एस टी के अंतर्गत आने वाले स्वीकृति आदेश मंडलों को दिए गए फॉर्मेट के अनुसार द्विभाषी ही जारी करें |

The Committee was informed that all the 15 sections in Hqrs., and 7 divisions were inspected by Hindi Translator on behalf of the Commissioner during the quarter, necessary documents related to OL Implementation were given. Review report will be sent to all Sections and Divisions soon. The translator requested all Division in charges to issue sanction orders under GST in bilingual form only as per the formats given to the divisions.

कार्रवाई:राजभाषा अनुभाग,सभी मंडल/ Action: OL Hindi Section, All Divisions

II तिमाही रिपोर्ट की समीक्षा / Review of the quarterly report :-

समिति को आयुक्तालय की हिंदी टिप्पणियों की प्रतिशतता एवं तीनों क्षेत्रों में जाने वाले हिन्दी पत्रों की प्रतिशतता सूचित की गई |

वे इस प्रकार हैं:-

पिछली तिमाही (2018 अक्टूबर/नवंबर/दिसम्बर)में हिंदी टिप्पणियों की प्रतिशतता - 35.7%

वर्तमान तिमाही(2019 जनवरी/फरवरी/मार्च)में हिंदी टिप्पणियों की प्रतिशतता - 31.2%

यथाक्रम दिनांक 31.12.2018,31.03.2019 को समाप्त होने वाली तिमाहियों में क -50.5%-52.08%,ख-100%-100%,ग -51.1%-52.6% |

The Committee was informed percentage of Hindi notings and percentage of Hindi correspondence to three regions:-It is as follows :-

Percentage of Hindi notings in previous quarter(Oct,Nov.,Dec.2018)-35.7%

Percentage of Hindi notings in current quarter(Jan.,Feb.,Mar.2019)- 31.2%

A-50.5%-52.08,B-100%-100%,C-51.1%-52.6% for the quarters ending on 31.12.2018,31.03.2019 respectively.

कार्रवाई:सभी अनुभाग/मंडल Action: All Sections/Divisions

III विविध/Miscellaneous :-

अगली तिमाही के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम/ Proposed programme for the nest Quarter:-

1. विभागीय पत्रिका "कैरली 2018-19" के लिए लेख एकत्र करना / **Collecting articles for departmental magazine "Kairali-2018-19".**

अध्यक्ष महोदय ने सभी हिन्दी भाषी अधिकारियों से रचनाएँ मंगवाने निदेश दिया | The Chairman directed that articles may be received from all the Hindi speaking officers.

कार्रवाई:सभी अनुभाग/मंडल Action: All Sections/Divisions

2. राजभाषा नीति पर कार्यशाला | / Workshop on Official Language Policy

कार्रवाई:राजभाषा,ई डी पी /प्रशिक्षण अनुभाग/ Action: OL Hindi, EDP, Training Sections

3. आयुक्तालय का नाम पट्ट - त्रिभाषी रूप में बनाना तथा हिंदी शब्द अर्थ सहित प्रदर्शित करने हेतु एक सफ़ेद बोर्ड खरीदना / Commissionerate's name board to be made in trilingual form and Purchase of a white board for displaying Hindi word with meaning.

कार्रवाई:जन संपर्क अधिकारी, केयर टेकर एकक, राजभाषा अनुभाग/ Action: PRO, Caretaker Unit,OL Hindi Section

4. राजभाषा मासिक रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करना/**Submission of Official Language Monthly Report on time :**

हिंदी अनुवादक ने समिति के सभी सदस्यों से दरखास्त की कि अपने अपने अनुभाग /विभाग की राजभाषा मासिक रिपोर्ट समय पर ही प्रस्तुत करने की कृपा करें | अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों से कहा कि सभी सदस्यों द्वारा इसे सख्ती से पालन किया जाए |

The Hindi Translator requested all members to kindly submit the Official Language Monthly report on time. The Chairman told that all members should follow it strictly.

कार्रवाई:सभी अनुभाग/मंडल Action: All Sections/Divisions

IV दिनांक 26.03.2019 को कोच्चि टोलिक की पिछली बैठक के दौरान प्रस्तुत किए गए आयुक्तालय के राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी एक पॉवर पॉइंट प्रस्तुतीकरण समिति के समक्ष किया गया |

A Power point presentation regarding OL Hindi Implementation of the Commissionerate which was earlier presented before the Kochi TOLIC during its previous meeting on 26.03.2019 as per Dept. Of OL,MHA's instructions was done in front of the Committee.

सदस्यों से अन्य कोई सुझाव न होने पर अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक अपराहन 04.00 बजे समाप्त हुई |

As no further suggestions came from the members the meeting ended at 04.00 pm with vote of thanks to the Chair.

(राजेश्वरी)

(राजेश्वरी आर.नायर/ RAJESWARI R.NAIR)

संयुक्त आयुक्त(का.व सत.)/ JOINT COMMISSIONER(P&V)